

CONFIDENTIAL

56

MEMORANDUM

MINISTER INCHARGE

CHIEF MINISTER, HARYANA

ADMINISTRATIVE SECRETARY

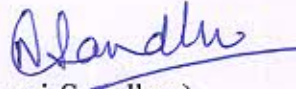
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY TO
GOVT. HARYANA, VIGILANCE
DEPARTMENT.

Subject :- ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT OF THE VIGILANCE
DEPARTMENT HARYANA FOR THE YEAR 2016-17.

The Annual Administrative Report of the Vigilance Department for the Year 2016-17, alongwith its Review & Critique, is submitted before the Council of Ministers Haryana for their approval in accordance with the Government instructions contained in U.O. No. 16/22/2005-4PP, dated 4th May, 2005.

2. Prior approval of the Hon'ble Chief Minister Haryana has been obtained for placing this matter before the Council of Ministers, Haryana.

Dated Chandigarh,
the 5-9-2018


(Navraj Sandhu)
Additional Chief Secretary to Govt. Haryana,
Vigilance Department

**REVIEW OF THE REPORT OF THE VIGILANCE DEPARTMENT, HARYANA
FOR THE YEAR 2016--2017.**

This report on the working of the Vigilance Department relates to the period from April, 2016 to March, 2017.

At the beginning of the year as on 1.4.2016, 208 enquiries were pending. During the year from 1.4.2016 to 31.3.2017, 87 new enquiries were registered on the orders of Government, 03 enquiries were registered on the orders of Hon'ble Lokayukta, Haryana, 1 enquiry was registered on the orders of Hon'ble High Court and 26 enquiries were registered against class-III employees on the orders of Director General, State Vigilance Bureau, Haryana. Out of total 325 (208+87+3+1+26) enquiries, State Vigilance Bureau finalized 68 enquiries during this period. Allegations/charges were proved in 35 enquiries while allegations in 33 enquiries were not proved. Reports in 26 enquiries were sent to the Administrative Departments concerned for taking departmental action. Criminal cases were recommended in 9 enquiries. At the end of year, 257 enquiries were pending with the State Vigilance Bureau.

During this period, 99 cases were registered against officers/officials, who were caught red-handed while accepting illegal gratification, 7 cases were registered as per decision of Government in vigilance enquiries, 8 cases were registered on the complaints, 1 case was registered on source report. As such, total 115 criminal cases were registered under various sections of Prevention of Corruption Act-1988 and the Indian Penal Code-1860.

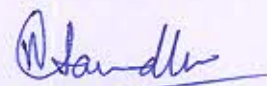
On 1.4.2016, 77 enquiries/special checking reports were pending with the Technical Wing of the State Vigilance Bureau. 68 new enquiries/special checkings were entrusted to the wing during the year for technical report. Out of total 145 enquiries/special checkings, 59 enquiries/special checking reports were finalized by the Technical Wing. At the end of year, 86 enquiries/special checking reports were pending for technical opinion.

During the year, the Deputy Collector, Irrigation posted in State Vigilance Bureau conducted checking of water services divisions and detected recovery of Rs.36,95,480/- as dues of Irrigation Department.

The Inquiry Officer Vigilance, Haryana completed 24 departmental enquiries during this period.

The Vigilance Department continued its activities vigorously during the year to eradicate corruption. The achievements of the department are satisfactory.

During this period Shri D.S.Dhesi, IAS held the charge as Administrative Secretary of Vigilance Department.



(Navraj Sandhu)

Additional Chief Secretary to Govt. Haryana,
Vigilance Department.

Dated Chandigarh,
the 5-9-2018

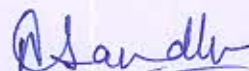
**CRITIQUE OF THE REPORT OF VIGILANCE DEPARTMENT, HARYANA
FOR THE YEAR 2016-2017.**

In the year 2016-2017, as many as 68 enquiry reports were finalized. In 26 cases, the enquiry reports were forwarded to the Administrative Departments concerned for taking departmental action against delinquent officers/officials whereas in the year 2015-2016, 74 enquiries were finalized and 27 enquiry reports were forwarded to the concerned departments for taking departmental action.

During the year 2016-2017, out of total 145 special checkings, 59 special checking reports were finalized by the Technical Wing of State Vigilance Bureau whereas during the year 2015-16, out of total 139 special checkings, 62 special checking reports were finalized by the Technical Wing of State Vigilance Bureau.

During the year 2016-2017, 115 cases were registered under various sections of Prevention of Corruption Act-1988 and the Indian Penal Code-1860 against officers/officials of various departments whereas in year 2015-16, 190 cases were registered under various sections of Prevention of Corruption Act-1988 and the Indian Penal Code-1860 against officers/officials of various departments.

During the year 2016-17, Deputy Collector, Irrigation posted in the State Vigilance Bureau detected recovery of Rs.36,95,480/- as dues of the Irrigation Department whereas during the year 2015-16, recovery of Rs. 25,59,693/- was detected as dues of the Irrigation Department.



(Navraj Sandhu)

Dated Chandigarh,
the 5-9-2018

Additional Chief Secretary to Govt. Haryana,
Vigilance Department .

गोपनीयज्ञापन

कार्यभारी मंत्री

मुख्य मंत्री, हरियाणा।

प्रशासकीय सचिव

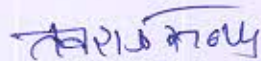
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
चौकसी विभाग।

विषय :- चौकसी विभाग, हरियाणा की वर्ष 2016-2017 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट।

चौकसी विभाग की वर्ष 2016-2017 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट, समीक्षा तथा समालोचना सहित, हरियाणा सरकार के अशा: क्रमांक 16/22/2005-4 पी.पी., दिनांक 4 मई, 2005 की हिदायतों के अनुसार मन्त्रिपरिषद् के सम्मुख उनके अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

इस मामले को मन्त्रि-परिषद् के सम्मुख रखने हेतु माननीय मुख्य मंत्री की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली गई है।

दिनांक, चण्डीगढ़ 5.9.2018



(नवराज संधु)

अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार,
चौकसी विभाग।

चौकसी विभाग, हरियाणा के कार्य की वर्ष 2016-2017 की रिपोर्ट की समीक्षा।

...

चौकसी विभाग, हरियाणा द्वारा सम्पन्न कार्य की यह रिपोर्ट मास अप्रैल, 2016 से मार्च 2017 तक की अवधि से सम्बन्धित है।

वर्ष के आरम्भ में 1.4.2016 को 208 जांचे लम्बित थी। इस वर्ष 1.4.2016 से 31.3.2017 तक 87 नई जांचे सरकार के आदेशों से, 3 जांचे माननीय लोकायुक्त, हरियाणा के आदेशानुसार, 1 जांच माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से तथा 26 जांचे तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के विरुद्ध महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो के आदेशानुसार दर्ज की गई। वर्ष के दौरान कुल 325 (208+87+3+1+26) जांचों में से राज्य चौकसी ब्यूरो ने 68 जांचों का निपटारा किया। 35 जांचों में आरोप सारपूर्ण रहे जबकि 33 जांचें निस्सार पाई गई। 26 जांचों में रिपोर्ट सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों को विभागीय कार्यवाही करने हेतु भेजी गई। 9 जांचों में अपराधिक मुकद्दमें दर्ज करने का सुझाव दिया गया। इस प्रकार वर्ष के अन्त में राज्य चौकसी ब्यूरो के पास 257 जांचें लम्बित रह गई।

इस अवधि के दौरान 99 मुकद्दमें अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने पर दर्ज किये गए, 7 मुकद्दमें सरकार द्वारा जांचों में लिए गये निर्णय के आधार पर, 8 मुकद्दमें शिकायतों पर तथा 1 मुकद्दमा आसूचना रिपोर्ट के आधार पर दर्ज किया गया। इस प्रकार कुल 115 अपराधिक मुकद्दमें भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम-1988 एवं भारतीय दण्ड संहिता-1860 की धाराओं के तहत दर्ज किये गये।

दिनांक 1.4.2016 को राज्य चौकसी ब्यूरो के तकनीकी विंग के पास 77 जांचें/स्पेशल चैकिंग रिपोर्ट लम्बित थी। इस वर्ष के दौरान 68 नई जांचें/स्पेशल चैकिंग रिपोर्ट तकनीकी जांच हेतु तकनीकी विंग को सौंपी गई। इन 145 जांचों/तकनीकी रिपोर्टों में से तकनीकी विंग द्वारा 59 जांचों/तकनीकी रिपोर्टों का निपटारा किया गया। इस प्रकार वर्ष के अंत में तकनीकी विंग के पास 86 जांचें/तकनीकी रिपोर्ट तकनीकी राय हेतु लम्बित रह गई।

इस अवधि के दौरान राज्य चौकसी ब्यूरो में कार्यरत उप कलैक्टर, सिंचाई द्वारा जल सेवा मण्डलों का निरीक्षण किया गया तथा सिंचाई विभाग की 36,95,480/-रुपये की बकाया राशि की वसूली का पता लगाया गया।

जांच अधिकारी चौकसी, हरियाणा ने इस अवधि में 24 विभागीय जांचों को पूर्ण किया।

रिपोर्टाधीन वर्ष में चौकसी विभाग ने भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये अपनी गतिविधियों को उत्साहपूर्वक जारी रखा। चौकसी विभाग की उपलब्धियां संतोषजनक रही।

इस अवधि में श्री डी0एस0डेसी, भा.प्र.से. चौकसी विभाग के प्रशासकीय सचिव रहे।

दिनांक, चण्डीगढ़ 5.9.2018

(नवराज संघु)

अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार,
चौकसी विभाग।

चौकसी विभाग हरियाणा की वर्ष 2016-2017 की रिपोर्ट पर समालोचना ।

.....

वर्ष 2016-2017 में 68 जांच रिपोर्टों को अन्तिम रूप दिया गया। इनमें से 26 केसों में जांच रिपोर्टों को सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों को दोषी अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने के लिये भेजी गई, जबकि वर्ष 2015-2016 में 74 जांच रिपोर्टों को अन्तिम रूप दिया गया और 27 जांच रिपोर्टों को सम्बन्धित विभागों को विभागीय कार्यवाही करने के लिये भेजी गई थी।

वर्ष 2016-2017 में राज्य चौकसी ब्यूरो के तकनीकी विंग द्वारा कुल 145 तकनीकी रिपोर्टों में से 59 तकनीकी रिपोर्टों का निपटारा किया गया जबकि वर्ष 2015-16 राज्य चौकसी ब्यूरो के तकनीकी विंग द्वारा कुल 139 तकनीकी रिपोर्टों में से 62 तकनीकी रिपोर्टों का निपटारा किया गया था।

वर्ष 2016-2017 में राज्य चौकसी ब्यूरो द्वारा भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम-1988 एवं भारतीय दण्ड संहिता-1860 की धाराओं के तहत 115 मुकदमें विभिन्न विभागों के विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध दर्ज किये गये जबकि वर्ष 2015-16 में राज्य चौकसी ब्यूरो द्वारा भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम-1988 एवं भारतीय दण्ड संहिता-1860 की धाराओं के तहत 190 मुकदमें विभिन्न विभागों के विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध दर्ज किये गये थे।

वर्ष 2016-2017 के दौरान राज्य चौकसी ब्यूरो में कार्यरत उप कलेक्टर, सिंचाई द्वारा सिंचाई विभाग की 36,95,480/-रुपये की बकाया वसूली का पता लगाया गया जबकि वर्ष 2015-16 में राज्य चौकसी ब्यूरो में कार्यरत उपकलेक्टर, सिंचाई द्वारा सिंचाई विभाग की 25,59,693/-रुपये की बकाया राशि की वसूली का पता लगाया गया था।

दिनांक, चण्डीगढ़ 5.9.2018

नवराज संधु
(नवराज संधु)

अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार,
चौकसी विभाग।

चौकसी विभाग, हरियाणा की वर्ष 2016-2017 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट।

परिचय

सरकारी विभागों तथा गैर सरकारी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार को समाप्त करने तथा स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने की दृष्टि से चौकसी विभाग ने 1-4-2016 से 31-3-2017 तक की अवधि के दौरान अपनी गतिविधियों को उत्साहपूर्वक जारी रखा।

2. चौकसी विभाग का मुख्य कर्तव्य भ्रष्टाचार के विरुद्ध विभिन्न विभागों द्वारा कार्यवाही करने हेतु उनकी सहायता करना है। इस ध्येय की पूर्ति के लिये समाज विरोधी उन तत्त्वों को, जो भ्रष्टाचार को पैदा करने में सहायक हो सकते हैं, समाप्त करने हेतु चौकसी विभाग द्वारा आवश्यक साधन तथा उपाय जुटाये जाते हैं।

3. भ्रष्टाचार निवारण कार्य निम्नलिखित कानूनों/नियमों के अंतर्गत किया जाता है:-

1. घूसखोरी, गबन/दुरुपयोग, धोखेबाजी इत्यादि के मामलों में भारतीय दण्ड संहिता-1860।
2. भ्रष्टाचार रोक अधिनियम -1988।
3. हरियाणा सिविल सेवायें (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1987।
4. अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियमावली, 1969।
5. सरकारी कर्मचारी (आचरण) नियमावली, 1966।
6. आचरण तथा नियंत्रण से सम्बन्धित विभागीय नियम तथा विनियम।

4. चौकसी विभाग चूककर्ता अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार और अनुशासनिक कार्यवाही से सम्बन्धित मामले में सभी प्रशासनिक विभागों को जांच रिपोर्ट आगामी कार्यवाही हेतु भेजता रहा है।

5. प्रचलित कार्यविधि:-

जिन शिकायतों पर प्रशासकीय कार्यवाही अपेक्षित हो, उन्हें सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों को निपटाने हेतु भेज दिया जाता है। कुछ शिकायतों को आमतौर पर सम्बन्धित अधिकारियों की हैसियत, ख्याति और योग्यता आदि के बारे में प्रशासनिक विभागों को उनकी टिप्पणी, यदि कोई हो तो, के लिये भेजा जाता है, ऐसी शिकायतें जिनमें निश्चित आरोप तथा पुष्टि का डाटा हो, उन्हें महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा को जांच के लिये भेजा जाता है। विभिन्न प्रशासनिक विभागों से जांच हेतु प्राप्त हुई शिकायतें भी राज्य चौकसी ब्यूरो को जांच के लिये भेजी जाती हैं। कुछ मामलों में शिकायतकर्त्ताओं को उन द्वारा लगाये गये आरोपों की पुष्टि में शपथ-पत्र देने के लिये कहा जाता है ताकि ऐसे लोगों द्वारा अधिकारियों/कर्मचारियों को नाज़ायज तंग न किया जाये, जो सरकारी कर्मचारियों के विषय में स्वाभाविक तौर पर तथा व्यक्तिगत कारणों से निराधार शिकायत करने का प्रयास करते हैं। राज्य चौकसी ब्यूरो से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर सचिवालय स्तर पर उनका परीक्षण किया जाता है, और आगामी कार्यवाही बारे निर्णय लिया जाता है उसके बाद जांच रिपोर्ट सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग को चौकसी विभाग द्वारा लिये गये निर्णयानुसार आवश्यक कार्यवाही करने के लिये भेज दी जाती है। जिन मामलों में राज्य चौकसी ब्यूरो की छानबीन करने से किसी अभिसाक्षि अपराध का पता चलता है और अपराधियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने का निर्णय लिया जाता है, उनमें राज्य चौकसी ब्यूरो को मुकदमा दर्ज करने के लिये लिखा जाता है।

यदि न्यायालय द्वारा अपराधियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के दोष सिद्ध हो जाते हैं तो उन्हें सेवा से मुक्त करना उचित समझा जाता है, दूसरे मामलों में विभागीय कार्यवाही की जाती है।

संगठन:-

चौकसी विभाग का संगठन ढांचा परिशिष्ट-I में दर्शाया गया है। यह संगठन के प्रत्येक विंग के स्वीकृत स्टाफ को सूचित करता है। चौकसी विभाग के विभिन्न संगठन रिपोर्टधीन वर्ष में इस प्रकार कार्य करते रहे हैं :—

(1) सचिवालय विंग

रिपोर्टधीन वर्ष में चौकसी विभाग में 767 शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिनमें 87 शिकायतें घूस/भ्रष्टाचार आदि के आरोप होने के कारण चौकसी विभाग द्वारा राज्य चौकसी ब्यूरो को विस्तृत जांच हेतु सौंपी गई थी। शेष शिकायतों में से अधिकांश विभागीय प्रकृति के आरोप से सम्बन्धित होने के कारण सम्बन्धित विभागों को उचित कार्यवाही हेतु भेज दी गई थी। कुछ शिकायतों में आरोप अस्पष्ट तथा निराधार होने के कारण फाईल कर दी गई थी।

वर्ष 2016-17 में राज्य चौकसी ब्यूरो से 68 जांच रिपोर्ट्स चौकसी विभाग में प्राप्त हुई जिनका चौकसी विभाग के स्तर पर परीक्षण किया गया। इनमें से 35 जांचों में आरोप सिद्ध होने पाए गए तथा 33 मामले निस्सार पाये गये। राज्य चौकसी ब्यूरो से 99 छापे मारने की रिपोर्ट इस अवधि में चौकसी विभाग में प्राप्त हुई।

इसके अतिरिक्त राज्य के 677 राजपत्रित अधिकारियों के पक्ष में पेंशन से सम्बन्धित शोधन पत्र जारी किये गये।

रिपोर्टधीन वर्ष में न्यायालय द्वारा 52 मामलों पर निर्णय दिया गया जिसके फलस्वरूप 7 अधिकारियों, 63 कर्मचारियों व 21 अन्य व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया तथा उन्हें सजा दी गई, जिसकी सूची परिशिष्ट-IV पर है।

(II) राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा

राज्य चौकसी ब्यूरो का कार्य राज्य सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों तथा गैर-सरकारी व्यक्तियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं सम्बन्धी शिकायतों की जांच करना है। राज्य चौकसी ब्यूरो द्वारा राज्य में चल रहे सरकारी निर्माण कार्यों की जांच करके तकनीकी रिपोर्ट्स भी सरकार को भेजी जाती है। इसके अतिरिक्त भ्रष्ट अधिकारियों/कर्मचारियों पर छापे मारकर रंगे हाथों पकड़ना, जांचों/रेड के आधार पर मुकदमें दर्ज करना व न्यायालय में उनकी पैरवी करना तथा विजीलेंस क्लीयरेंस जारी करने का कार्य भी राज्य चौकसी ब्यूरो द्वारा किया जाता है।

राज्य चौकसी ब्यूरो, एक महानिदेशक के मार्गदर्शन में कार्य करता रहा है। महानिदेशक के पद पर भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग के अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। उन्हें परिशिष्ट-I में अंकित अमले का सहयोग प्राप्त था। वर्ष के आरम्भ में चौकसी ब्यूरो के पास 208 जांचें जांच हेतु लम्बित थी। रिपोर्टधीन वर्ष में चौकसी ब्यूरो द्वारा सरकार के आदेशानुसार व अपने स्तर पर कुल 117 नये मामले जांच हेतु दर्ज किये गये, जिनका विवरण परिशिष्ट-II पर दिया गया है। इस तरह कुल जांचों की संख्या 325 हो गई, इन जांचों में से उन्होंने इस अवधि में 68 शिकायतों की जांच रिपोर्ट पूर्ण करके सरकार को भेजी गई। इनमें से 35 जांचों में आरोप सारपूर्ण रहे जबकि 33 मामले निस्सार पाये गये।

26 जांचों में सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों को 59 राजपत्रित अधिकारियों एवं 54 अराजपत्रित कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने और 9 जांचों में 5 राजपत्रित अधिकारियों, 10 अराजपत्रित कर्मचारियों तथा 4 अन्य के विरुद्ध मुकदमों दर्ज कराने का सुझाव दिया गया। इस प्रकार वर्ष के अन्त में चौकसी ब्यूरो के पास 257 जांचें बकाया रह गई।

इस अवधि में महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा द्वारा 115 मुकदमों भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम, 1988 एवं भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज किये गये। इनमें से 7 मुकदमों सरकार द्वारा जांचों में लिए गये निर्णय के आधार पर, 8 मुकदमों शिकायतों के आधार पर, 1 मुकदमा आसूचना रिपोर्ट के आधार पर व 99 मुकदमों अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने पर दर्ज किये गये। इन 115 मुकदमों में 18 राजपत्रित अधिकारी, 104 अराजपत्रित कर्मचारी, 6 अनुबन्ध आधार पर कार्यरत कर्मचारी और 13 अन्य व्यक्ति शामिल थे। राज्य चौकसी ब्यूरो द्वारा जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है उनकी सूची परिशिष्ट-III पर संलग्न है।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान राज्य चौकसी ब्यूरो के तकनीकी विंग के स्तर पर दिनांक 1-4-2016 को 77 मामले तकनीकी राय के लिये लम्बित थे और रिपोर्टाधीन वर्ष में 68 नये मामले तकनीकी राय हेतु सौंपे गये। इस अवधि के दौरान कुल 145 (77+68) मामलों में से राज्य चौकसी ब्यूरो द्वारा 59 (35+24) मामलों में अपनी राय दी। दिनांक 1-4-2017 को 86 मामले तकनीकी राय हेतु लम्बित रह गये।

इस अवधि में राज्य चौकसी ब्यूरो में कार्यरत उप कलैक्टर, सिंचाई द्वारा चैकिंग की गई तथा सिंचाई विभाग से सम्बन्धित पानी की 36,95,480/-रु० की चोरी का पता लगाया तथा रिपोर्ट सम्बन्धित विभाग को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजी गई जिसकी सूची परिशिष्ट-V पर संलग्न है।

राज्य चौकसी ब्यूरो, मुख्यालय व इसके क्षेत्रिय कार्यालय की कुशल व सरल गतिविधियों के लिए वित्त वर्ष 2016-2017 के दौरान बजट में 29,29,13,629/-रुपये का प्रावधान किया गया।

(III) जांच अधिकारी (चौकसी)

1 अप्रैल 2016 को 19 विभागीय जांचें हरियाणा सिविल सेवायें (दण्ड एवं अपील), नियमावली-1987 के अधीन जांच अधिकारी, चौकसी के पास लम्बित थी। वर्ष के दौरान 34 नई जांचें विभिन्न विभागों से प्राप्त हुई, इस प्रकार कुल 53 जांचों में से 24 जांचें पूर्ण करके सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों को भेजी गई। इस प्रकार वर्ष के अन्त में 29 विभागीय जांचें लम्बित रह गई। जांच अधिकारी, चौकसी कार्यालय के लिये वर्ष 2016-2017 में 81,33,000/-रुपये का स्वीकृत बजट था।

रिपोर्टाधीन वर्ष में श्री डी०एस०डेसी, भा.प्र.से., चौकसी विभाग के प्रशासकीय सचिव रहे। श्री परमिन्द्र राय, भा०पु०से०, महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा रहे। श्री ए०के०सिंह, भा.प्र.से., जांच अधिकारी, चौकसी रहे।

हस्ता/-

(नवराज संधु)

अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार,
चौकसी विभाग।

परिशिष्ट- I

चौकसी विभाग हरियाणा का संगठन (1.4.2016 से 31.3.2017)

सचिवालय विंग

मुख्य सचिव	1
सचिव	1
उप सचिव	1
निज़ि सचिव	2
अधीक्षक	1
उपाधीक्षक	1
निज़ि सहायक	3
वरिष्ठ आशुलिपिक	1
सहायक	9
आशुलिपिक	2
लिपिक	9
सेवादार	6
कुल	37

जांच अधिकारी, चौकसी, हरियाणा

जांच अधिकारी	1
जिला न्यायवादी	2
उप जिला न्यायवादी	2
सहायक	3
आशुलिपिक	1
प्रधान सिपाही	1
सेवादार	1
चालक	2
कुल	13

राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा :

क्र. स.	पद	स्वीकृत
1.	महानिदेशक/निदेशक	1
2.	अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक	1
3.	पुलिस महानिरीक्षक	1
4.	उप पुलिस महानिरीक्षक	1
5.	पुलिस अधीक्षक	5
6.	सहायक पुलिस अधीक्षक/ उप पुलिस अधीक्षक	13
7.	पुलिस निरीक्षक	45
8.	उप पुलिस निरीक्षक	18
9.	सहायक उप पुलिस निरीक्षक	40
10.	मुख्य सिपाही	66
11.	सिपाही	140
12.	उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त	1
13.	जिला न्यायवादी	1
14.	उप जिला न्यायवादी	3
15.	सहायक जिला न्यायवादी	2
16.	कार्यकारी अभियंता	2
17.	उप मण्डल अभियंता	2
18.	उप कलेक्टर (सिंचाई)	1
19.	राजस्व तहसीलदार	1
20.	अनुभाग अधिकारी	1
21.	कर निरीक्षक	1
22.	कनिष्ठ अभियंता	1
23.	राजस्व लिपिक	1
24.	अधीक्षक (कार्यालय)	1
25.	निजी सहायक	1
26.	निजी सचिव	1
27.	सहायक	10
28.	सिनियर स्केल स्टैनो	6
29.	जूनियर स्केल स्टैनो	1
30.	स्टैनो-टाईपिस्ट	2
31.	लिपिक	27
32.	ड्राईवर (सिविल)	6
33.	बुक-बाईंडर	1
34.	चपडासी	13
35.	चौकीदार	1
36.	स्वीपर	9
37.	जलवाहक कम लांगरी	9
	कुल	436

परिशिष्ट-II

वर्ष 2016-17 में राज्य चौकसी ब्यूरो को सौंपी गई शिकायतों का विभागानुसार ब्यौरा

क्र०सं०	विभाग का नाम	दर्ज की गई जांचें
1	कृषि	01
2	सहकारिता	04
3	विकास एवं पंचायत	04
4	नगर एवं ग्राम आयोजना	01
5	शिक्षा	03
6	आबकारी एवं कराधान	02
7	खाद्य एवं आपूर्ति	09
8	वन	02
9	हैफेड	01
10	हरियाण खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड	01
11	हरियाणा विधान सभा	01
12	स्वास्थ्य	05
13	चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान	05
14	उच्चतर शिक्षा	02
15	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण	04
16	उद्योग एवं वाणिज्य	01
17	सिंचाई	02
18	पंचायती राज	02
19	पुलिस	03
20	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	01
21	विद्युत	07
22	जेल	03
23	अभियोजन	01
24	जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक	03
25	राजस्व	16
26	समाजिक कल्याण	01
27	तकनीकी शिक्षा	01
28	परिवहन	01
29	शहरी स्थानीय निकाय	14
30	वेयरहाउसिंग कोप्रोरेशन	01
31	महिला एवं बाल विकास	01
32	अन्य	14
	कुल	117

परिशिष्ट - III

मास अप्रैल, 2016 से मार्च, 2017 के दौरान निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया।

क्र० सं०	अधिकारी/कर्मचारी का नाम व पद	छापा मारने की तिथि	विभाग का नाम	घूस में ली गई राशि
1	हरिओम, नहरी पटवारी (अनुबन्ध आधार पर) कार्यालय कार्यकारी अभियंता, सिंचाई, गोहाना, जिला सोनीपत।	06.04.2016	सिंचाई	2,000/-रुपये
2	1 धर्मबीर सिंह, लाईनमैन, उप मण्डल, द०ह०बि०वि०नि०, न्यू पालम विहार, गुड़गांव। 2 सुरेश कुमार, ए०एल०एम० (अनुबन्ध आधार पर), उप मण्डल, द०ह०बि०वि०नि०, न्यू पालम विहार, गुड़गांव।	06.04.2016	विद्युत	8,000/-रुपये
3	1 सिपाही चाप सिंह, नं० 3896/गुड़गांव, सहायक पुलिस आयुक्त नारायण सिंह, पटौदी के गनमैन ने 2 सहायक पुलिस आयुक्त नारायण सिंह की तरफ से घूस ली	08.04.2016	पुलिस	20,000/-रुपये व एक कम्बल
4	सहायक उप निरीक्षक संत राम, नं० 78/पानीपत, चौकी समालखा शहर, थाना समालखा, जिला पानीपत।	08.04.2016	पुलिस	10,000/-रुपये
5	1 डॉ० विनोद कुमार, चिकित्सा अधिकारी/सर्जन, सामान्य हस्पताल, झज्जर। 2 नरेश कुमार, सेवादार (ठेके पर कर्मचारी), सामान्य हस्पताल, झज्जर।	09.04.2016	स्वास्थ्य	7,000/-रुपये
6	सहायक उप निरीक्षक हरि प्रकाश, नं० 519/सोनीपत, ईन्चार्ज, चौकी ऐजुकेशन सिटी, राई, जिला सोनीपत।	09.04.2016	पुलिस	3,500/-रुपये
7	कृष्ण कुमार, सूचना सहायक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दोलतपुर, जिला हिसार में नियुक्त।	11.04.2016	स्वास्थ्य	3,500/-रुपये
8	सुरेश कुमार, सेवादार (शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर तैनात), सदर कानूनगो शाखा, कार्यालय उपायुक्त, पानीपत।	23.04.2016	शिक्षा	10,000/-रुपये
9	अजीत सिंह, मुख्य अध्यापक, माध्यमिक विद्यालय, गढ़ी अलावलपुर, जिला रेवाड़ी।	26.04.2016	शिक्षा	2,000/-रुपये
10	1 रन सिंह, हल्का पटवारी, गांव सौंटा, जिला अम्बाला। 2 राम पाल, हल्का कानूनगो, गांव सौंटा, जिला अम्बाला।	26.04.2016	राजस्व	3,000/-रुपये
11	राजकुमार, जिला प्रबन्धक 1/4अनुबन्ध आधार पर), हरियाणा पिछड़ा जाति और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम, सिरसा।	14.05.2016	अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा जाति कल्याण	5,500/-रुपये

12	सहायक उप निरीक्षक धर्मबीर सिंह नं० 1460/हिसार, थाना बरवाला, जिला हिसार।	20.05.2016	पुलिस	15,000/-रुपये
13	सहायक उप निरीक्षक जगबीर सिंह, पुलिस चौकी आजाद नगर, हिसार।	05.06.2016	पुलिस	8,000/-रुपये
14	अनिल कुमार, प्रवाचक तहसीलदार, नगीना, जिला मेवात।	13.06.2016	राजस्व	10,000/-रुपये
15	1 सतबीर सिंह, कानूनगो, तहसील पानीपत। 2 सुशील कुमार, पटवारी, तहसील पानीपत। 3 मनोज कुमार,कम्प्यूटर ओपरेटर 1/4डी.सी. रेट पर 1/2] तहसील पानीपत।	15.06.2016	राजस्व	11,000/-रुपये
16	राम प्रसाद सैनी, कनिष्ठ अभियन्ता, दक्षिण हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, फीरोजपुर झिरका, जिला मेवात।	22.06.2016	विद्युत	5,000/-रुपये
17	1 बलकेश सिंह, निरीक्षक, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, मतलौडा, जिला पानीपत। 2 अंग्रेज सिंह, उप-निरीक्षक, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, मतलौडा, जिला पानीपत।	22.06.2016	खाद्य एवं आपूर्ति विभाग	32,000/-रुपये
18	1 विकास पुत्र रमेश कुमार निवासी गुडा, तहसील व जिला झज्जर। 2 मोहित निवासी लाल चन्द कालोनी, झज्जर।	22.06.2016	प्राइवेट व्यक्ति	1,500/-रुपये
19	अश्वनी, वन रक्षक, अलेवा बीट, जिला जीन्द।	23.06.2016	वन	4,000/-रुपये
20	सहायक उप निरीक्षक प्रेम चन्द नं० 113/पंचकुला, महिला थाना, पंचकुला।	24.06.2016	पुलिस	2,500/-रुपये
21	सुरेश कुमार, प्रधानाचार्य, राजकीय तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान बरवाला, जिला हिसार।	24.06.2016	तकनीकी शिक्षा	3,000/-रुपये
22	रूपेन्द्र सिंह, वन रक्षक, बीट कुटेल, जिला करनाल।	26.06.2016	वन	4,000/-रुपये
23	सन्दीप कुमार, लिपिक, नगर पालिका, कलायत, जिला कैथल।	28.06.2016	स्थानीय निकाय	4,000/-रुपये
24	जसबीर, पटवारी, हलका छारा, बहादुरगढ़, जिला झज्जर।	09.07.2016	राजस्व	600/-रुपये
25	सहायक उप निरीक्षक राम मेहर, नं० 809/कैथल, थाना सिविल लाईन, कैथल।	12.07.2016	पुलिस	50,000/-रुपये
26	सिपाही जफरुद्दीन, नं० 1033/फरीदाबाद, पुलिस चौकी सैक्टर-75, फरीदाबाद।	15.07.2016	पुलिस	10,000/-रुपये
27	बिशम्बर लाल, कनिष्ठ अभियन्ता, उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम, उप मण्डल मुनक, जिला करनाल।	15.07.2016	विद्युत	5,000/-रुपये
28	मोनपाल, कम्प्यूटर ऑपरेटर कार्यालय एस०डी०एम०, गुरुग्राम	19.07.2016	राजस्व	800/-रुपये
29	आर०के० गर्ग, अधीक्षक अभियन्ता, जन स्वास्थ्य विभाग, झज्जर।	20.07.2016	जन स्वास्थ्य	15,000/-रुपये
30	1 राज कुमार, उप मण्डल अधिकारी, जन स्वास्थ्य विभाग कोसली, जिला रिवाड़ी। 2 दलबीर सिंह बूरा, कनिष्ठ अभियन्ता, जन स्वास्थ्य विभाग कोसली, जिला रिवाड़ी।	21.07.2016	जन स्वास्थ्य	35,500/-रुपये (9,000/-रुपये राज कुमार से, 24,000/-रुपये दलबीर सिंह बूरा

	3 गुलशन कुमार, उप मण्डलीय लिपिक, जन स्वास्थ्य विभाग कोसली, जिला रिवाड़ी।			से और 2,500 / - रुपये गुलशन कुमार से)
31	सत्यवान, पटवारी हल्का कापड़ो, जिला हिसार।	25.07.2016	राजस्व	6,000 / - रुपये
32	मुख्य सिपाही ब्रह्म प्रकाश नं० 324 / गुरुग्राम, थाना पटौदी, जिला गुरुग्राम।	25.07.2016	पुलिस	5,000 / - रुपये
33	1 ओम प्रकाश, नं० एस०पी०ओ० / 30, नियुक्ति नाका कितलाना, थाना सदर भिवानी। 2 सुरेश कुमार, नं० एस०पी०ओ० / 37, नियुक्ति नाका कितलाना, थाना सदर भिवानी। 3 सहायक उप निरीक्षक बलवन्त सिंह नं० 599 / भिवानी नियुक्ति नाका कितलाना, थाना सदर भिवानी।	02.08.2016	पुलिस	1,000 / - रुपये
34	1 विकास, लिपिक कार्यालय तहसील सोनीपत 2 सीटू राम उर्फ जगबीर पुत्र चन्द्र सिंह निवासी मकान नं० 624 / 26, आर्य नगर, सोनीपत।	03.08.2016	राजस्व	500 / - रुपये
35	आशा रानी, निरीक्षक, बिक्री कर, आबकारी एवं कराधान विभाग, हांसी, जिला हिसार।	03.08.2016	आबकारी एवं कराधान	2,000 / - रुपये
36	महेन्द्र, कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग, झज्जर।	04.08.2016	नगर एवं ग्राम आयोजना	4,00,000 / - रुपये
37	सहायक उप निरीक्षक जसवन्त सिंह, थाना राजौद, जिला कैथल।	06.08.2016	पुलिस	3,000 / - रुपये
38	सतीश कुमार, निरीक्षक, बिक्री कर विभाग, हिसार।	06.08.2016	आबकारी एवं कराधान	60,000 / - रुपये
39	मुकेश गुप्ता, उपमण्डल अभियन्ता (सिंचाई), इन्द्री, जिला करनाल।	08.08.2016	सिंचाई	40,000 / - रुपये
40	संजीव शर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता, कार्यालय उप मण्डल, उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम, बिलासपुर, जिला यमुनानगर	08.08.2016	विद्युत	2,000 / - रुपये
41	कन्हैया लाल, जिला कोषाध्यक्ष, कार्यालय जिला खजाना, सिरसा।	09.08.2016	खजाना	5,000 / - रुपये
42	ईश्वर दत्त, पर्यवेक्षक, नगर पालिका, फतेहाबाद।	09.08.2016	शहरी स्थानीय निकाय	1,000 / - रुपये
43	विजय कुमार, फॉर्मैन, उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम, खरखौदा, जिला सोनीपत	10.08.2016	विद्युत	5,000 / - रुपये
44	सोमनाथ ढींगरा वाणिज्य सहायक, शहरी उप मण्डल, उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम, पानीपत।	11.08.2016	विद्युत	10,000 / - रुपये
45	1 सतीश कुमार पुत्र श्री समुन्द्र सिंह निवासी बोहर मेलवां, थाना अर्बन अस्टेट, रोहतक ने 2 विनोद कुमार, पटवारी, पटवारखाना, रोहतक की तरफ से घूस ली।	16.08.2016	राजस्व	5,000 / - रुपये
46	सुन्दर लाल, पटवारी (सेवानिवृत्त) अब	17.08.2016	राजस्व	10,000 / - रुपये

	(डी०सी० रेट पर) हुड्डा विभाग, करनाल।			
47	1 रामकिशन, रेडिएटर रिपोर्टर, प्रशिक्षण स्कूल, हरियाणा रोडवेज, रोहतक। 2 सवित कुमार, परिचालक, प्रशिक्षण स्कूल, हरियाणा रोडवेज, रोहतक। 3 बिजेन्द्र पुत्र श्री सुखबीर सिंह निवासी म०न० 163/21, ऋषि नगर, लाथौट रोड, रोहतक। 4 भारत पुत्र जयभगवान निवासी 291/25, हुड्डा कम्पलैक्स, रोहतक।	23.08.2016	परिवहन	9,000 / –रुपये
48	मुख्य सिपाही दयान, नं० 2503/फरीदाबाद, पी०ओ० स्टाफ, फरीदाबाद।	31.08.2016	पुलिस	3000 / – रुपये
49	जयपाल सिंह, पटवारी तिवाला, तहसील दादरी, जिला भिवानी।	01.09.2016	राजस्व	1,000 / –रुपये
50	सहायक उप निरीक्षक राम चन्द्र नं० 68/फतेहाबाद, थाना रतिया, जिला फतेहाबाद।	02.09.2016	पुलिस	5000 / – रुपये
51	उप निरीक्षक नन्ही देवी, थाना प्रबन्धक, महिला थाना, भिवानी।	04.09.2016	पुलिस	10,000 / –रुपये
52	सहायक उप निरीक्षक सतपाल सिंह नं० 2259/गुरुग्राम, यातायात पुलिस, खेरकी दौला चौक, गुरुग्राम।	08.09.2016	पुलिस	4,000 / –रुपये
53	1 राकेश कुमार, लिपिक, प्रवाचक नायब तहसीलदार उकलाना, जिला हिसार। 2 मनदीप सिंह, सेवादार, तहसील उकलाना, जिला हिसार।	08.09.2016	राजस्व	4,000 / –रुपये
54	रामजनम, उप मण्डल अधिकारी, उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम, ईस्माइलाबाद, जिला कुरुक्षेत्र।	08.09.2016	विद्युत	5,000 / –रुपये
55	रोशन लाल, पटवारी, पटवारखाना गोहाना, थाना कुण्डली, जिला सोनीपत।	09.09.2016	राजस्व	3,000 / –रुपये
56	बलजीत सिंह, कनिष्ठ अभियन्ता, दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम, सिरसा।	15.09.2016	विद्युत	10,000 / –रुपये
57	1 सतबीर, कनिष्ठ अभियन्ता, दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम, जीन्द। 2 मनोज, ए०एल०एम०, दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम, जीन्द।	17.09.2016	विद्युत	20,000 / –रुपये
58	1 निरीक्षक सूरज चावला, थाना प्रबन्धक, थाना बाधरा, जिला भिवानी। 2 हंस राज, एस०पी०ओ० 153/भिवानी, थाना बाधरा, जिला भिवानी। 3 सुनील पुत्र राम किशन निवासी पंडवां, जिला भिवानी।	19.09.2016	पुलिस	30,000 / –रुपये
59	मुख्य सिपाही जयकंवर, आर्य नगर चौकी, थाना सिविल लाईन, रोहतक।	19.09.2016	पुलिस	10,000 / –रुपये
60	शशी भान, निजी सहायक, जिला नगर आयोजना अधिकारी कार्यालय नगर परिषद, गुड़गांव।	21.09.2016	शहरी स्थानीय निकाय	2,00,000 / –रुपये
61	राजबीर सिंह मलिक, सी०ए०, दक्षिणी हरियाणा	22.09.2016	विद्युत	4,000 / –रुपये

	बिजली वितरण निगम लिमिटेड, सफीदों, जिला जीन्द			
62	1 विनोद कुमार, सेवादार कार्यालय सुधार मण्डल, हिसार ने 2 सन्दीप वर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता, सुधार मण्डल, हिसार की ओर से घूस ली।	28.09.2016	नगर एवं ग्राम आयोजना	15,000 / - रुपये
63	सुरेन्द्र कुमार, पटवारी, हल्का गुरसर, तहसील नरवाना, जिला जीन्द।	29.09.2016	राजस्व	1,600 / - रुपये
64	पवन, पटवारी, हल्का जाहरी, सोनीपत।	30.09.2016	राजस्व	15,000 / - रुपये
65	डॉ० राजीव गर्ग, सामान्य हस्पताल, भूना, जिला फतेहाबाद।	05.10.2016	स्वास्थ्य	3,000 / - रुपये
66	अशोक कुमार, पटवारी, तहसील तोशाम, जिला भिवानी।	13.10.2016	राजस्व	1,200 / - रुपये
67	राम निवास, शाखा प्रबंधक, सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, मंडौरी कलां, जिला भिवानी।	14.10.2016	सहकारिता	1,000 / - रुपये
68	सुभाष, पटवारी, हल्का दुदालधन, तहसील बेरी, जिला झज्जर।	22.10.2016	राजस्व	40,000 / - रुपये
69	हरि सिंह, चालक, परिवहन प्रशिक्षण संस्थान, जिला महेन्द्रगढ़ (नारनौल)।	25.10.2016	परिवहन	1,000 / - रुपये
70	अक्षय कुमार, पशु चिकित्सक, राजकीय पशु चिकित्सालय, जहाजपुर, जिला हिसार।	15.11.2016	पशुपालन	5,000 / - रुपये
71	मुख्य सिपाही डिम्पी, नं० 132/पानीपत, सी०आई०ए०-2, पानीपत।	22.11.2016	पुलिस	15,000 / - रुपये
72	मुकेश कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता, जन स्वास्थ्य विभाग, सोनीपत।	24.11.2016	जन स्वास्थ्य	6,000 / - रुपये
73	राज कुमार, लिपिक, जिला शिक्षा कार्यालय, फतेहाबाद।	26.11.2016	शिक्षा	50,000 / - रुपये
74	सिपाही राजबीर सिंह 2048/फरीदाबाद, पुलिस चौकी, सैक्टर-8, फरीदाबाद।	05.12.2016	पुलिस	500 / - रुपये
75	मान सिंह, पी०एल०ए० शाखा, लघु सचिवालय, पलवल।	06.12.2016	राजस्व	1,000 / - रुपये
76	रघुबीर सिंह, एस्टेट मैनेजर, हरियाणा आवास भवन, गुरुग्राम।	14.12.2016	आवास भवन	5,000 / - रुपये
77	देवेन्द्र कुमार, कानूनगो, कार्यालय भूमि अर्जन अधिकारी (हुड्डा), सैक्टर-8, पंचकूला।	15.12.2016	हुड्डा	10,000 / - रुपये
78	वेद प्रकाश, कनिष्ठ अभियन्ता, विद्युत विभाग निसिंग, जिला करनाल।	19.12.2016	विद्युत	7,000 / - रुपये
79	मुख्य सिपाही प्रोमिला, महिला पुलिस थाना, झज्जर।	22.12.2016	पुलिस	6,000 / - रुपये
80	सतीश बंसल, कनिष्ठ अभियन्ता, पर्यटन विभाग, रोहतक।	26.12.2016	पर्यटन	10,000 / - रुपये
81	सतेन्द्र कुमार, लिपिक, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र कार्यालय, रोहतक।	03.01.2017	शहरी स्थानीय निकाय	1,000 / - रुपये
82	अजय, पटवारी, हल्का कुलासी, जिला झज्जर।	13.01.2017	राजस्व	3,500 / - रुपये
83	पवन कुमार, ए०एल०एम०, गांव नागपुर, मण्डल रतिया, जिला फतेहाबाद।	13.01.2017	विद्युत	4,000 / - रुपये
84	वजीर सिंह, फौरमैन, उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम, मछरौली, जिला झज्जर।	20.01.2017	विद्युत	5,000 / - रुपये

85	महावीर सिंह, निरीक्षक, आबकारी एवं कराधान, झज्जर।	24.01.2017	आबकारी एवं कराधान	21,000 /—रुपये
86	1 श्रीमति अनुप्रीत पत्नी श्री महेन्द्र सिंह निवासी मकान नं० 1197, सैक्टर 10, अम्बाला शहर। 2 सहायक उप निरीक्षक प्रकाश नं० 145/ए, ईन्चार्ज पुलिस चौकसी माडल टाउन, थाना बलदेव नगर, अम्बाला शहर। 3 मुख्य सिपाही राजीव कुमार नं० 110/अम्बाला, पुलिस चौकसी माडल टाउन, थाना बलदेव नगर, अम्बाला शहर।	27.01.2017	पुलिस	50,000 /—रुपये
87	श्रीमती रानी पत्नी श्री नरेन्द्र सिंह, सरपंच गांव मुजेरी, जिला फरीदाबाद।	07.02.2017	गैर-विभागीय	50,000 /—रुपये
88	उप निरीक्षक नरेश कुमार, थाना सैक्टर-10, गुरुग्राम।	09.02.2017	पुलिस	40,000 /— रुपये
89	अनिल कुमार, तहसीलदार पिहोवा, जिला कुरुक्षेत्र।	28.02.2017	राजस्व	20,000 /— रुपये
90	रामफल, हलका पटवारी, तेजली, जिला यमुनानगर।	02.03.2017	राजस्व	1,200 /—रुपये
91	कंवर सिंह, लाईनमैन, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, उप मण्डल, मानेसर, जिला गुरुग्राम।	09.03.2017	विद्युत	10,000 /—रुपये
92	1 मंदीप, ए०एल०एम०, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, बहल, जिला भिवानी। 2 सुरेन्द्र, उपभोक्ता लिपिक, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, बहल, जिला भिवानी।	14.03.2017	विद्युत	1,500 /—रुपये
93	राजपाल, सी०ए०, दक्षिण हरियाणा विद्युत वितरण निगम, उप मण्डल, सैक्टर-18, गुरुग्राम।	16.03.2017	विद्युत	18,000 /—रुपये
94	पवीकांत मितल, मण्डल लेखा अधिकारी, जन स्वास्थ्य विभाग, सिरसा।	21.03.2017	जन स्वास्थ्य	4,000 /—रुपये
95	विवेन्द्र, लिपिक, कार्यालय सी०डब्ल्यू०सी०, हिसार।	24.03.2017	सी०डब्ल्यू०सी०	2,000 /—रुपये
96	सुरेश गर्ग, निरीक्षक खाद्य एवं आपूर्ति विभाग हथीन, जिला पलवल।	27.03.2017	खाद्य एवं आपूर्ति	30,000 /—रुपये
97	1 अनिल कुमार, लिपिक, कार्यालय वरिष्ठ औषधी नियंत्रण अधिकारी, गुरुग्राम। 2 महावीर, लिपिक कार्यालय वरिष्ठ औषधी नियंत्रण अधिकारी, गुरुग्राम।	29.03.2017	औषधी नियंत्रक	15,000 /—रुपये
98	राजकुमार, समाज कल्याण अधिकारी, तहसील हिसार।	30.03.2017	राजस्व	5,000 /—रुपये
99	डॉ० सुरेन्द्र सिंह, पशु चिकित्सक विभाग हरियाणा होडल खण्ड, जिला पलवल।	30.03.2017	पशुपालन	1,500 /—रुपये

परिशिष्ट- IV

मास अप्रैल, 2016 से मार्च, 2017 के दौरान निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों को सम्बन्धित न्यायालयों द्वारा सजा व जुर्माना किया गया।

क सं	मुकद्दमों में अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या	दण्डित अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम व पद।	दण्ड की प्रगति	जांच/रेड क्रमांक	मुकद्दमा नं० एवं जेरद्वारा।
1	2	1. प्रदीप, पटवारी, हल्का लालपुर दवाना, तहसील व जिला रेवाड़ी। 2. विनोद कुमार, सहायक पटवारी (प्राईवेट व्यक्ति)।	प्रत्येक को 2 वर्ष की सजा व 25,000/- रुपये जुर्माना।	रेड केस	27 दिनांक 18.06.2015 धारा 7/8/13 पी०सी० एक्ट, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, गुरुग्राम।
2	1	उप निरीक्षक जय किशन, थाना गोहाना, जिला सोनीपत हाल चौकी ईन्चार्ज, सैक्टर 1, आवास बोर्ड, रोहतक।	4 वर्ष की सजा व 30,000/- रुपये जुर्माना।	रेड केस	26 दिनांक 08.11.2012 धारा 7/13 पी०सी० एक्ट, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, रोहतक।
3	2	1. प्रदीप कुमार, लिपिक, कार्यालय जिला नगर योजनाकार, पानीपत। 2. जगदीप पुत्र श्री राम सिंह निवासी मकान नं० 108/4, आदर्श नगर कालोनी, जौरासी रोड़, समालखा, जिला पानीपत।	प्रदीप कुमार को 4 वर्ष की सजा व 9,000/- रुपये जुर्माना। जगदीप को 2 वर्ष की सजा व 5,000/- रुपये जुर्माना।	रेड केस	06 दिनांक 13.01.2015 धारा 7/8/13 पी०सी० एक्ट, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, रोहतक।
4	1	राज कुमार फौजदार, उप मण्डलीय अधिकारी, विद्युत बोर्ड, बादली, जिला झज्जर।	2 वर्ष की सजा व 10,000/- रुपये जुर्माना।	रेड केस	19 दिनांक 31.08.2012 धारा 7/13 पी०सी० एक्ट, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, रोहतक।
5	18	1. मिटू राम चोपड़ा, जिला शिक्षा अधिकारी (सेवानिवृत्त) महेन्द्रगढ़। 2. जय दयाल, खण्ड शिक्षा अधिकारी (सेवानिवृत्त) महेन्द्रगढ़। 3. छोटे लाल, खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी (सेवानिवृत्त) अटेली, जिला महेन्द्रगढ़। 4. जय सिंह, प्रधानाचार्य,	प्रत्येक को 5 वर्ष की सजा व 30,000/- रुपये जुर्माना। मिटू राम चोपड़ा, होशियार सिंह, महेन्द्र कुमार, छोटे लाल, जय सिंह व जय दयाल को 3 वर्ष की सजा व 5,000/- रुपये जुर्माना।	जांच क्रमांक 1/06 नारनौल	10 दिनांक 22.02.2008 धारा 204/420/467/468/471/120-बी भा०द०सं० व 13(1)डी पी०सी० एक्ट, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, गुरुग्राम।

	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, नौताना, जिला महेन्द्रगढ़।			
	5. होशियार सिंह, उप अधीक्षक, कार्यालय खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, महेन्द्रगढ़।			
	6. महेन्द्र कुमार, लिपिक, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, महेन्द्रगढ़।			
	7. अनिल कुमार, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, शिक्षा विभाग, महेन्द्रगढ़।			
	8. कमल कुमार, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, शिक्षा विभाग, महेन्द्रगढ़।			
	9. राजेश कुमार, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, शिक्षा विभाग, महेन्द्रगढ़।			
	10. सुदेश कुमार, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, शिक्षा विभाग, महेन्द्रगढ़।			
	11. रामकिशन, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, शिक्षा विभाग, महेन्द्रगढ़।			
	12. बलवन्त सिंह, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, शिक्षा विभाग, महेन्द्रगढ़।			
	13. राम प्रताप, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, शिक्षा विभाग, महेन्द्रगढ़।			
	14. मुकेश, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, शिक्षा विभाग, महेन्द्रगढ़।			
	15. नरेश, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, शिक्षा विभाग, महेन्द्रगढ़।			
	16. लिलू राम, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, शिक्षा विभाग, महेन्द्रगढ़।			
	17. हवा सिंह, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, शिक्षा विभाग, महेन्द्रगढ़।			
	18. जयपाल, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, शिक्षा विभाग, महेन्द्रगढ़।			

6	1	चान्द राम, पटवारी, हल्का पपोसा, जिला भिवानी।	2 वर्ष की सजा व 3,000/- रुपये जुर्माना।	रेड केस	02 दिनांक 02.01.2015 धारा 7/13 पी०सी० एक्ट, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, हिसार।
7	1	करण सिंह, चालक-कम-अनुदेशक, हरियाणा रोड़वेज प्रशिक्षण स्कूल, करनाल।	4 वर्ष की सजा व 10,000/- रुपये जुर्माना।	रेड केस	09 दिनांक 18.01.2015 धारा 7/13 पी०सी० एक्ट, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, रोहतक।
8	3	1. बलवान सिंह, श्रम अधिकारी, सोनीपत। 2. अशोक कुमार, श्रम निरीक्षक, सोनीपत। 3. संजय कुमार (बलवान सिंह, श्रम अधिकारी की चालक) पुत्र श्री राम किशन निवासी जाटू लुहारी, थाना बवानी खेड़ा, जिला भिवानी।	बलवान सिंह व अशोक कुमार को 4 वर्ष की सजा व 20,000/- रुपये जुर्माना। संजय कुमार को 4 वर्ष की सजा व 10,000/- रुपये जुर्माना।	रेड केस	12 दिनांक 29.06.2013 धारा 7/8/13 पी०सी० एक्ट, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, रोहतक।
9	2	1. जयदीप, ए०आई० वर्कर, पशु चिकित्सालय, ललहेड़ी, जिला सोनीपत ने 2. डॉ० रघबीर सिंह मेहला, पशु चिकित्सक, राजलू गढ़ी, जिला सोनीपत की तरफ से घूस ली।	जयदीप को 3 वर्ष की सजा व 10,000/- रुपये जुर्माना। डॉ० रघबीर सिंह मेहला को 4 वर्ष की सजा व 25,000/- रुपये जुर्माना।	रेड केस	26 दिनांक 26.09.2014 धारा 7/13 पी०सी० एक्ट, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, रोहतक।
10	1	किशन सिंह, एल०डी०सी०, द०ह०वि०प्र०नि०नि०, उप मण्डल बदरोला, जिला फरीदाबाद।	1½ वर्ष की सजा व 15,000/- रुपये जुर्माना।	रेड केस	02 दिनांक 06.01.2013 धारा 7/13 पी०सी० एक्ट, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, गुरुग्राम।
11	1	सहायक उप निरीक्षक रामफल, नं० 712/जीन्द, पुलिस चौकी उचाना मण्डी, जिला जीन्द।	4 वर्ष की सजा व 10,000/- रुपये जुर्माना।	रेड केस	15 दिनांक 30.04.2013 धारा 7/13 पी०सी० एक्ट, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, हिसार।
12	1	सोम नाथ चावला, बजट प्लानिंग अधिकारी, पी०जी०आई०आई०एम०एस०, रोहतक।	3 वर्ष की सजा व 15,000/- रुपये जुर्माना।	रेड केस	26 दिनांक 03.09.2013 धारा 7/13 पी०सी० एक्ट, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, रोहतक।
13	1	सहायक उप निरीक्षक सुशील कुमार, पुलिस चौकी सैक्टर 28, फरीदाबाद।	1½ वर्ष की सजा व 15,000/- रुपये जुर्माना।	रेड केस	01 दिनांक 06.01.2011 धारा 7/13 पी०सी० एक्ट, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, गुरुग्राम।
14	1	मुख्य सिपाही विरेन्द्र सिंह, नं० 700/गुरुग्राम, सम्मन स्टाफ, थाना सैक्टर 5, गुरुग्राम।	3 वर्ष की सजा व 10,000/- रुपये जुर्माना।	रेड केस	34 दिनांक 27.12.2014 धारा 7/13 पी०सी० एक्ट, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, गुरुग्राम।

15	2	1. विकास अत्री, लिपिक कार्यालय सामान्य चिकित्सक, पानीपत। 2. विकास शर्मा पुत्र श्री पुरुषोत्तम लाल निवासी मकान नं० 1191, महादेव कालोनी, पानीपत।	विकास अत्री को 5 वर्ष की सजा व 10,000/- रुपये जुर्माना। विकास शर्मा को 4 वर्ष की सजा व 5,000/- रुपये जुर्माना।	रेड केस	33 दिनांक 29.05.2015 धारा 7/8/13 पी०सी० एक्ट, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, रोहतक।
16	1	सहायक उप निरीक्षक विजय सिंह, ईन्चार्ज पुलिस चौकी उचाना, जिला जीन्द।	4 वर्ष की सजा व 10,000/- रुपये जुर्माना।	रेड केस	18 दिनांक 14.04.2015 धारा 7/13 पी०सी० एक्ट, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, हिसार।
17	1	सत्यानारायण, कानूनगो, कार्यालय भूमि अर्जन अधिकारी, गुरुग्राम।	5 वर्ष की सजा व 10,000/- रुपये जुर्माना।	रेड केस	07 दिनांक 08.05.2013 धारा 7/13 पी०सी० एक्ट, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, गुरुग्राम।
18	1	कुलवन्त राय, रिकार्ड कीपर, कार्यालय उपायुक्त, सिरसा।	3 वर्ष की सजा व 30,000/- रुपये जुर्माना।	रेड केस	31 दिनांक 12.08.2015 धारा 7/13 पी०सी० एक्ट, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, हिसार।
19	1	अशोक चोपड़ा, कनिष्ठ अभियंता, उ०ह०बि०वि०नि०लि०, असंध, जिला करनाल।	4 वर्ष की सजा व 15,000/- रुपये जुर्माना।	रेड केस	13 दिनांक 21.03.2014 धारा 7/13 पी०सी० एक्ट, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, रोहतक।
20	1	सहायक उप निरीक्षक कंवर सिंह, ईन्चार्ज पुलिस चौकी नई सब्जी मंडी, थाना सिवाजी कालोनी, रोहतक।	3 वर्ष की सजा व 20,000/- रुपये जुर्माना।	रेड केस	20 दिनांक 05.08.2011 धारा 7 पी०सी० एक्ट, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, रोहतक।
21	1	सतबीर सिंह, सेल्समैन, मीनी बैंक, डुमरखां कलां, जिला जीन्द।	2 वर्ष की सजा व 10,000/- रुपये जुर्माना।	जांच क्रमांक 3/07 जीन्द	03 दिनांक 20.03.2010 धारा 420/467/468/471/406/ 201/409 भा०द०सं० थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, हिसार।
22	1	रमेश चन्द्र, पटवारी, हल्का वजीराबाद, जिला फरीदाबाद।	5 वर्ष की सजा व 55,000/- रुपये जुर्माना।	जांच क्रमांक 14/05 गुरुग्राम	18 दिनांक 09.03.2006 धारा 420/467/468/471/120- बी भा०द०सं० थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, गुरुग्राम।
23	1	सहायक उप निरीक्षक पवन कुमार, नं० 7/गुरुग्राम, ईन्चार्ज पुलिस चौकी बस स्टैंड, गुरुग्राम।	5 वर्ष की सजा व 20,000/- रुपये जुर्माना।	रेड केस	39 दिनांक 24.08.2015 धारा 7/13 पी०सी० एक्ट, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, गुरुग्राम।
24	1	राकेश शर्मा, कार्यकारी अभियंता, जन स्वास्थ्य मण्डल-3, सिरसा।	4 वर्ष की सजा व 10,000/- रुपये जुर्माना।	रेड केस	26 दिनांक 11.09.2014 धारा 7/13 पी०सी० एक्ट, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, हिसार।
25	1	रामा नन्द, अनुभाग अधिकारी, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, रेवाड़ी।	4 वर्ष की सजा व 20,000/- रुपये जुर्माना।	रेड केस	18 दिनांक 16.08.2013 धारा 7/13 पी०सी० एक्ट, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, गुरुग्राम।
26	1	प्रेम मेहता, प्रोपर्टी डीलर, टोहाना, जिला फतेहाबाद।	4 वर्ष की सजा व 10,000/- रुपये जुर्माना।	रेड केस	10 दिनांक 03.04.2013 धारा 7/8/13 पी०सी० एक्ट, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, हिसार।

27	1	विजय कुमार, पटवारी, हल्का कमासपुर, जिला सोनीपत।	3 वर्ष की सजा व 15,000/- रुपये जुर्माना।	रेड केस	32 दिनांक 19.12.2012 धारा 7/13 पी०सी० एक्ट, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, रोहतक।
28	2	1. सुनील कुमार मित्तल पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण निवासी गनेश कालोनी, जौरासी रोड़, समालखा, पानीपत ने 2. विनोद गुप्ता, प्रबन्धक, द अर्बन को-ओपरेटिव बैंक, पानीपत की तरफ से घूस ली।	सुनील कुमार मित्तल को 3 वर्ष की सजा व 5,000/- रुपये जुर्माना।	रेड केस	20 दिनांक 06.06.2014 धारा 7/8/13 पी०सी० एक्ट, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, रोहतक।
29	1	जसवन्त सिंह, सहायक, कार्यालय उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त, हिसार।	5 वर्ष की सजा व 25,000/- रुपये जुर्माना।	रेड केस	11 दिनांक 25.05.2011 धारा 7/13 पी०सी० एक्ट, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, हिसार।
30	2	1. महा नन्द पुत्र श्री जगबीर सिंह निवासी कासंडा, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत ने 2. हरि राम, पटवारी, हल्का जौली, जिला सोनीपत की तरफ से घूस ली।	महा नन्द को 3 वर्ष की सजा व 15,000/- रुपये जुर्माना। हरि राम को 3 वर्ष की सजा व 10,000/- रुपये जुर्माना।	रेड केस	12 दिनांक 02.02.2015 धारा 7/8/13 पी०सी० एक्ट, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, रोहतक।
31	1	अब्दुल गानी खान, सचिव, को-ओ समितियां, जयसिंहपुर, जिला मेवात।	2 वर्ष की सजा व 1,000/- रुपये जुर्माना।	जांच कमांक 41/02 गुरुग्राम	08 दिनांक 22.03.2005 धारा 409/420/467/468/471/120-बी भा०द०सं० थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, गुरुग्राम।
32	1	सहायक उप निरीक्षक अशोक कुमार, नं० 50/गुरुग्राम, पुलिस चौकी न्यू कालोनी, गुरुग्राम।	1 वर्ष की सजा व 1,000/- रुपये जुर्माना।	रेड केस	20 दिनांक 27.08.2013 धारा 7 पी०सी० एक्ट, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, गुरुग्राम।
33	1	कप्तान सिंह, सहायक, पशु पालन विभाग, सोनीपत।	4 वर्ष की सजा व 25,000/- रुपये जुर्माना।	रेड केस	18 दिनांक 27.05.2014 धारा 7/13 पी०सी० एक्ट, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, रोहतक।
34	1	जय किशन रंगा, सहायक, खेल विभाग, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक।	4 वर्ष की सजा व 17,000/- रुपये जुर्माना।	रेड केस	66 दिनांक 23.10.2015 धारा 7/13 पी०सी० एक्ट, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, रोहतक।
35	1	रविन्द्र प्रकाश, बैलिफ, श्री अमित गर्ग, जे०एम०आई०सी० कोर्ट, पानीपत।	4 वर्ष की सजा व 10,000/- रुपये जुर्माना।	रेड केस	19 दिनांक 14.03.2015 धारा 7 पी०सी० एक्ट, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, रोहतक।
36	2	1. रमेश कुमार, लेखाकार, तहसील	रमेश कुमार को 4 वर्ष की सजा व	रेड केस	40 दिनांक 19.12.2014 धारा 7/8/13 पी०सी० एक्ट, थाना

		राजस्व खरखौदा, जिला सोनीपत। 2. प्रदीप कुमार पुत्र श्री महेन्द्र निवासी निलोथी, थाना सदर बहादुरगढ़, जिला झज्जर।	10,000/- रुपये जुर्माना। प्रदीप कुमार को 4 वर्ष की सजा व 5,000/- रुपये जुर्माना।		राज्य चौकसी ब्यूरो, रोहतक।
37	1	सुरेन्द्र कुमार आहुजा, कनिष्ठ अभियंता, ह०वि०प्र०नि०नि०, गुरुग्राम।	3 वर्ष की सजा व 4,000/- रुपये जुर्माना।	रेड केस	06 दिनांक 01.05.2013 धारा 7/13 पी०सी० एक्ट, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, गुरुग्राम।
38	1	सुकरम पाल, पटवारी, हल्का गढ़ी ब्राह्मण, जिला सोनीपत।।	5 वर्ष की सजा व 50,000/- रुपये जुर्माना।	रेड केस	06 दिनांक 23.05.2013 धारा 7 पी०सी० एक्ट, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, रोहतक।
39	1	राम निवास, कनिष्ठ अभियंता, विद्युत विभाग, सोनीपत।	4 वर्ष की सजा व 25,000/- रुपये जुर्माना।	रेड केस	24 दिनांक 12.09.2014 धारा 7 पी०सी० एक्ट, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, रोहतक।
40	1	भीम सिंह, सरपंच, ग्राम पंचायत मिल्कागानी, तहसील व जिला पलवल।	3 वर्ष की सजा व 10,000/- रुपये जुर्माना।	रेड केस	15 दिनांक 31.07.2014 धारा 7/13 पी०सी० एक्ट, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, गुरुग्राम।
41	1	बलदेव कृष्ण, कानूनगो, पटवारखाना, कैथल।	4 वर्ष की सजा व 10,000/- रुपये जुर्माना।	रेड केस	04 दिनांक 11.02.2015 धारा 7/13 पी०सी० एक्ट, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, अम्बाला।
42	1	विनोद गुप्ता, सी०ई०ओ० (कार्यकारी अभियंता) द पानीपत केन्द्रीय को-ओपरेटिव बैंक लि०, पानीपत।	4 वर्ष की सजा व 20,000/- रुपये जुर्माना।	रेड केस	11 दिनांक 30.01.2015 धारा 7 पी०सी० एक्ट, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, रोहतक।
43	2	1. सहायक उप निरीक्षक बिजेन्द्र सिंह नं० 36/करनाल, ईन्चार्ज पुलिस चौकी मुडलाना, जिला सोनीपत। 2. मुख्य सिपाही हरविन्द नं० 593/सोनीपत।	प्रत्येक को 4 वर्ष की सजा व 10,000/- रुपये जुर्माना।	रेड केस	13 दिनांक 04.02.2015 धारा 7 पी०सी० एक्ट, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, रोहतक।
44	7	1. चत्तर पाल पुत्र श्री अमी लाल निवासी गांव बिलोचपुर अब न्यू कालोनी, पलवल 2. गिरराज पुत्र श्री राम सिंह निवासी गांव अटवा, जिला पलवल। 3. खेम चन्द पुत्र श्री गेला राम निवासी गांव अटवा, जिला पलवल। 4. लिखी राम पुत्र श्री	प्रत्येक को 3 वर्ष की सजा व 4,000/- रुपये जुर्माना।	जांच क्रमांक 4/10 पलवल	13 दिनांक 14.05.2012 धारा 420/467/468/471/120- बी भा०द०सं० व 13(1)डी पी०सी० एक्ट थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, गुरुग्राम।

		बुध राम निवासी गांव अटवा, जिला पलवल। 5. सतनारायण पुत्र श्री राम प्रसाद निवासी गांव अटवा, जिला पलवल। 6. चरण सिंह पुत्र श्री औम प्रकाश निवासी गांव अटवा, जिला पलवल। 7. राजेश पुत्र खेम चन्द निवासी गांव अटवा, जिला पलवल।			
45	1	सहायक उप निरीक्षक शमशेर सिंह, नं० 23/यमुनानगर, महिला थाना, यमुनानगर।	4 वर्ष की सजा व 15,000/- रुपये जुर्माना।	रेड केस	01 दिनांक 29.03.2016 धारा 7/13 पी०सी० एक्ट, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, पंचकूला।
46	2	1. प्रेम चन्द, सेवानिवृत्त अध्यापक ने 2. महेन्द्र सिंह, लिपिक, कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी, गन्नौर, जिला सोनीपत।	प्रेम चन्द को 3 वर्ष की सजा व 10,000/- रुपये जुर्माना।	रेड केस	22 दिनांक 02.08.2013 धारा 7/13 पी०सी० एक्ट, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, रोहतक।
47	1	मुख्य सिपाही प्रदीप कुमार, नं० 887/पलवल, थाना सदर, जिला पलवल।	4 वर्ष की सजा व 15,000/- रुपये जुर्माना।	रेड केस	28 दिनांक 01.12.2014 धारा 7/13 पी०सी० एक्ट, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, गुरुग्राम।
48	1	सुरेश कुमार, पटवारी कार्यालय भूमि अर्जन अधिकारी, हुडा, रोहतक।	4 वर्ष की सजा व 15,000/- रुपये जुर्माना।	रेड केस	71 दिनांक 14.12.2015 धारा 7/13 पी०सी० एक्ट, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, रोहतक।
49	1	अजीत सिंह, लिपिक, मलेरिया कार्यालय, सोनीपत।	4 वर्ष की सजा व 25,000/- रुपये जुर्माना।	रेड केस	17 दिनांक 21.05.2014 धारा 7 पी०सी० एक्ट, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, रोहतक।
50	4	1. गोबिन्द राम पुत्र श्री प्रीतम सिंह, निवासी गांव मानकपुर, थाना सढौरा, जिला यमुनानगर। 2. मुनीष कुमार पुत्र श्री गुरमेल सिंह, निवासी गांव मानकपुर, थाना सढौरा, जिला यमुनानगर। 3. कृष्ण कुमार पुत्र करनेल सिंह निवासी गांव मानकपुर, थाना सढौरा, जिला यमुनानगर। 4. देवी स्वरूप पुत्र	प्रत्येक को 3 वर्ष की सजा व 1,000/- रुपये जुर्माना।	जांच कमांक 5/08 यमुनानगर	03 दिनांक 11.05.2009 धारा 420/464/465/468/477/120-बी भा०द०सं० थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, पंचकूला।

		करनेल सिंह निवासी गांव मानकपुर, थाना सढौरा, जिला यमुनानगर।			
51	1	सतपाल सिंह, कनिष्ठ अभियंता, उ०ह०बि०वि०नि०, निसिसंग, जिला करनाल।	4 वर्ष की सजा व 9,000/- रुपये जुर्माना।	रेड केस	25 दिनांक 15.09.2014 धारा 7/13 पी०सी० एक्ट, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, रोहतक।
52	3	1. जोगिन्द्र कुमार जैन, शाखा प्रबन्धक, को-ओप्रेटिव सोसायटी, कोटरा खास, बिलासपुर, जिला यमुनानगर। 2. विरेन्द्र कुमार, लोन लिपिक, को-ओप्रेटिव सोसायटी, कोटरा खास, बिलासपुर, जिला यमुनानगर। 3. सिंह राम, सेल्समैन, को-ओप्रेटिव सोसायटी, कोटरा खास, बिलासपुर, जिला यमुनानगर।	प्रत्येक को 4 वर्ष की सजा व 1,500/- रुपये जुर्माना।	जांच क्रमांक 3/05 यमुनानगर	05 दिनांक 28.11.2005 धारा 420/406/409/467/468/ 120-बी भा०द०सं० थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, पंचकूला।

मुकद्दमों में जितने
अधिकारियों/कर्मचारियों
को सजा हुई



राजपत्रित
अधिकारी

7

अराजपत्रित
कर्मचारी

63

अन्य

21

कुल

91

केस

52

परिशिष्ट-V

सिंचाई विभाग के बकाया की बरामदगी का विवरण

क्र० सं०	विवरण	राशि (रूपये)
1	कुरुक्षेत्र जल सेवाएं मण्डल कुरुक्षेत्र में नहरी रकबा के सिंचाई आंकड़ों फसल खरीफ वर्ष 2015-2016 में आबपासी की कमी से राजस्व की हानि।	34,601
2	हिसार जल सेवाएं मण्डल हिसार में सरसाना नहर विश्राम गृह की सरकारी भूमि का चकौता राशि जमा न करने के कारण राजस्व की हानि।	2,06,115
3	हिसार जल सेवाएं मण्डल हिसार में बरवाला नहर विश्राम गृह की सरकारी भूमि का चकौता राशि जमा न करने के कारण राजस्व की हानि।	22,400
4	हिसार जल सेवाएं मण्डल हिसार में राजली नहर विश्राम गृह की सरकारी भूमि का चकौता राशि जमा न करने के कारण राजस्व की हानि।	1,54,242
5	बौंद जल सेवाएं मण्डल भिवानी में नहरी रकबा के सिंचाई आंकड़ों फसल खरीफ वर्ष 2015-2016 में आबपासी की कमी से राजस्व की हानि।	79,466
6	भिवानी जल सेवाएं मण्डल भिवानी में नहरी रकबा के सिंचाई आंकड़ों फसल खरीफ वर्ष 2015-2016 में आबपासी की कमी से राजस्व की हानि।	90,029
7	जीन्द जल सेवाएं मण्डल जीन्द में नहरी रकबा के सिंचाई आंकड़ों फसल खरीफ वर्ष 2015-2016 में आबपासी की कमी से राजस्व की हानि।	49,135
8	रोहतक जल सेवाएं मण्डल रोहतक में बैसी नहर विश्राम गृह की सरकारी भूमि का चकौता राशि जमा न करने के कारण राजस्व की हानि।	64,164
9	रोहतक जल सेवाएं मण्डल रोहतक में नहरी रकबा के सिंचाई आंकड़ों फसल रबि वर्ष 2015-2016 में आबपासी की कमी से राजस्व की हानि।	11,558
10	नारनौल जल सेवाएं मण्डल नारनौल में नहरी रकबा के सिंचाई आंकड़ों फसल खरीफ वर्ष 2015-2016 में आबपासी की कमी से राजस्व की हानि।	17,019
11	महेन्द्रगढ़ जल सेवाएं मण्डल महेन्द्रगढ़ में नहरी रकबा के सिंचाई आंकड़ों फसल रबि वर्ष 2015-2016 में आबपासी की कमी से राजस्व की हानि।	3,279
12	महेन्द्रगढ़ जल सेवाएं मण्डल चरखी दादरी में नहरी रकबा के सिंचाई आंकड़ों फसल रबि वर्ष 2015-2016 में आबपासी की कमी से राजस्व की हानि।	93,990
13	मेवात जल सेवाएं मण्डल नूंह में फसल रबि वर्ष 2013-2014 से फसल खरीफ वर्ष 2015 तक की खतौनी आब्याना तैयार न करने के कारण राजस्व की हानि।	12,00,000
14	दादूपुर ताजेवाला जल सेवाएं मण्डल दादूपुर में दादूपुर ताजेवाला व रादौर नहर विश्राम गृह की सरकारी भूमि का चकौता राशि जमा न करने के कारण राजस्व की हानि।	3,63,498
15	दादूपुर जल सेवाएं मण्डल दादूपुर में फसल रबि वर्ष 2015-2016 की खतौनी आब्याना तैयार न करने के कारण राजस्व की हानि।	4,00,000
16	कैथल जल सेवाएं मण्डल कैथल में नहरी रकबा के सिंचाई आंकड़ों फसल रबि वर्ष 2015-2016 में आबपासी की कमी से राजस्व की हानि।	2,513
17	पुन्डरी जल सेवाएं मण्डल पुन्डरी में नहरी रकबा के सिंचाई आंकड़ों फसल रबि वर्ष 2015-2016 में आबपासी की कमी से राजस्व की हानि।	46,695
18	सिरसा जल सेवाएं मण्डल सिरसा में नहरी रकबा के सिंचाई आंकड़ों फसल रबि वर्ष 2015-2016 में आबपासी की कमी से राजस्व की हानि।	21,083
19	सोनीपत जल सेवाएं मण्डल सोनीपत में नहरी रकबा के सिंचाई आंकड़ों फसल रबि वर्ष 2015-2016 में आबपासी की कमी से राजस्व की हानि।	34,732
20	राई जल सेवाएं मण्डल राई में नहरी रकबा के सिंचाई आंकड़ों फसल रबि वर्ष 2015-2016 में आबपासी की कमी से राजस्व की हानि।	39,197
21	करनाल जल सेवाएं मण्डल करनाल में नहरी रकबा के सिंचाई आंकड़ों फसल रबि वर्ष 2015-2016 में आबपासी की कमी से राजस्व की हानि।	30,918

22	कुरुक्षेत्र जल सेवाएँ मण्डल कुरुक्षेत्र में मत्सय विभाग में नहरी पानी की रिकवरी राशि जमा न करने के कारण राजस्व की हानि।	1,41,696
23	फतेहाबाद जल सेवाएँ मण्डल फतेहाबाद में नहरी रकबा के सिंचाई आंकड़ों फसल रबि वर्ष 2015-2016 में आबपासी की कमी से राजस्व की हानि।	1,49,658
24	हांसी जल सेवाएँ मण्डल हांसी में नहरी रकबा के सिंचाई आंकड़ों फसल रबि वर्ष 2015-2016 में आबपासी की कमी से राजस्व की हानि।	1,06,607
25	जुई जल सेवाएँ मण्डल भिवानी में नहरी रकबा के सिंचाई आंकड़ों फसल रबि वर्ष 2015-2016 में आबपासी की कमी से राजस्व की हानि।	23,296
26	बौंद जल सेवाएँ मण्डल भिवानी में नहरी रकबा के सिंचाई आंकड़ों फसल रबि वर्ष 2015-2016 में आबपासी की कमी से राजस्व की हानि।	74,715
27	लौहारू जल सेवाएँ मण्डल भिवानी में नहरी रकबा के सिंचाई आंकड़ों फसल रबि वर्ष 2015-2016 में आबपासी की कमी से राजस्व की हानि।	8,875
28	गोहाना जल सेवाएँ मण्डल गोहाना में नहरी रकबा के सिंचाई आंकड़ों फसल रबि वर्ष 2015-2016 में आबपासी की कमी से राजस्व की हानि।	31,683
29	रोहतक जल सेवाएँ मण्डल रोहतक में नहरी रकबा के सिंचाई आंकड़ों फसल रबि वर्ष 2015-2016 में आबपासी की कमी से राजस्व की हानि।	93,058
30	महेन्द्रगढ़ जल सेवाएँ मण्डल महेन्द्रगढ़ में नहरी रकबा के सिंचाई आंकड़ों फसल रबि वर्ष 2015-2016 में आबपासी की कमी से राजस्व की हानि।	15,251
31	सफीदों जल सेवाएँ मण्डल सफीदों में नहरी रकबा के सिंचाई आंकड़ों फसल रबि वर्ष 2015-2016 में आबपासी की कमी से राजस्व की हानि।	24,934
32	जीन्द जल सेवाएँ मण्डल जीन्द में नहरी रकबा के सिंचाई आंकड़ों फसल रबि वर्ष 2015-2016 में आबपासी की कमी से राजस्व की हानि।	61,073
	कुल जोड़	36,95,480/-
